

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ ३२६

दिनांक : ११/८/०९

—: संशोधित आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास जयपुर द्वारा आयोजित Induction/Foundation Course हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/309 दिनांक 3.8.2009 के द्वारा दिनांक 17.8.09 से 29.8.09 तक के लिये चिकित्सकों को मनोनीत किया गया था की तिथियों में आंशिक संशोधन करते हुये आयोजित कोर्स दिनांक 19.8.2009 से 31.8.2009 तक के लिये चिकित्सकों को मनोनीत किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ ३२६

दिनांक : ११/८/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)SIHFW/Ind.Trg./2007/1876 दिनांक 27.7.09 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले- प्रशिक्षणार्थियों की सूचना अविलम्ब भिजवावें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 18.8.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को संशोधित आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से सम्बन्धित वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करे।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।